

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मेरठ।  
पत्रांक- 1022 /5-3 दिनांक, मेरठ, 06 अगस्त 2016.

**अति अल्पकालीन निविदा सूचना**

1- महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों अथवा सामग्री निर्माता (भट्टा मालिक) से प्रतिशतता के आधार पर निम्न स्थलों पर ब्रिक्स एम0 100 की आपूर्ति हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 17.9.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पते (223/1 सिविल लाईन्स, निकट कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ-250001) पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 17.9.2016 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 17.9.2016 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर ब्रिक्स एम0 100 हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है।

2-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत लाख में	जनपद का नाम/ आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फर्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bricks M 100	40500 ईट	1.62	खरखौदा करबा	3000.00	(300+100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दिनांक से 15 दिन के अन्दर
2		29220 ईट	1.17	रिठानी रेंज के अन्तर्गत मुख्य गंग नहर मील 88 से 91 के मध्य	2400.00		

3- कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

4- कॉलम संख्या-3 में दी गयी कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

5- निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय में प्रधान लिपिक से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 07.09.2016 से दिनांक 16.09.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो " प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6- दिनांक 17.9.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे के बाद प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

7- समस्त कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

8- निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए। टैण्डर के स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करनी होगी।

9- अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10- अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11- स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प ड्यूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

12- किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

13- टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

14- कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग-वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमत्य नहीं होगा।

15- राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

16- कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

17- स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

18- निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षरण करने होंगे।

19- निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

20- टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग ( लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता होने की दशा में सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।

21- उपरोक्त स्थल पर सामग्री आपूर्ति हेतु टैण्डर फार्म क्रय करना होगा तथा उसको बन्द लिफाफे में ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पते (223/1 सिविल लाईन्स, निकट कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ-250001) पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजनी होगी। डाक में देरी होने के कारण निर्धारित समय पर निविदायें प्राप्त नहीं होती हैं तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

22-निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग-अलग हैं, जिसे अलग-अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 7.09.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पते (223/1 सिविल लाईन्स, निकट कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ-250001) पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजने होंगे। डाक में देरी होने के कारण निर्धारित समय पर निविदायें प्राप्त नहीं होती हैं तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23- यदि कोई टैण्डरदाता दूसरे राज्य का होता है तो माल की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का व्यापार कर फार्म/केन्द्रीय कर फार्म अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सामग्री आपूर्ति हेतु रास्ते में समस्त वैद्यानिक कार्यवाही हेतु फार्म/ टोल टैक्स व्यय/अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स व्यय समस्त वैद्यानिक कार्यवाही/फार्म हेतु निविदादाता की अपनी जिम्मेदारी होगी तथा स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

26/9/16  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ।

संख्या 1022 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0, अरण्य सदन सेक्टर 19, इन्दिरा नगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड कराने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
- 5- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 6- जिलाधिकारी, मेरठ।
- 7- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वृत्त मेरठ।
- 8- लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-1,2,3,4 मेरठ तथा प्रान्तीय खण्ड मेरठ।
- 9- मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 10- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
- 11- उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ।
- 12- समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मेरठ वन प्रभाग को 15-15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
- 13- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ खण्ड मेरठ।
- 14- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
- 15- प्रभारी, एन0आई0सी0, मेरठ को राजकीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
- 16- नोटिस बोर्ड।

26/9/16  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।